11/12/23 | पीठासीन अधिकारी महोदय, ...है।
अतः पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 26/2/24 को पेश हो।

26/2/24 | पत्रावली पेश हुई। वकील उभयपक्ष उपस्थित। श्रीमान पीठासीन अधिकारी महोदय, ...दौरे में.....है।
अतः पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 6/5/24 को पेश हो।

6/5/24 | पत्रावली पेश हुई। वकील उभयपक्ष उपस्थित। श्रीमान पीठासीन अधिकारी महोदय, ...दौरे में.....है।
अतः पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 22/7/24 को पेश हो।

22/7/24 | पत्रावली पेश हुई। वकील उभयपक्ष उपस्थित। श्रीमान पीठासीन अधिकारी महोदय, ...दौरे में.....है।
अतः पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 21/10/24 को पेश हो।

21/10/24 | पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उपस्थित अप्रार्थीगण अनुपस्थित। आवाज लगायी, अनुपस्थित रहे। अतः अप्रार्थीगण के विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही की जाती है। फावली वास्ते बहस दि. 26/11/24 को पेश हो।

21/10/24

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2024.12.11 11:34:53 IST
Reason: SelfAttested

26/11/24 | पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उपस्थित बहस एकतरफा सुनी गई। फावली वास्ते आदेश दिनांक 29/11/24 को पेश हो।

26/11/24

Scanned with OKEN Scanner

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही या मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तालीम में जारी हुए
29/11/24	पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उपस्थित। आर्गु० प्रार्थी की बहस प्रा० पत्र के परिपेक्ष्य मे पत्रावली का अवलोकन किया गया। धारा- 212 RT Act r.w. O. 39 R1 & 2 CPC के प्रा० पत्र को adjudicate करने के लिए इसे निम्न 03 बिन्दुओ पर जांचना ~~adjudicate करना~~ आवश्यक है :- (अ) प्रकरण प्रथम द्रष्टया :- आर्गु० प्रार्थी द्वारा बहस के दौरान कथन किया कि ग्राम रायपुर तहसील रायपुर की वादग्रस्त आराजी ख० न० 1474, 1475, 1476, 1477 व 1478 किता 5 कुल रकबा 10.3321 hac प्रार्थी व अप्रार्थी क्रम 1 से 5 की संयुक्त खाते की पुश्तैनी भूमि है जिसमे प्रार्थी का 1/4 हिस्सा दर्ज है। अप्रार्थी क्रम 2 से 4 रायपुर नहीं रहकर झालरापाटन निवास करते है और शामलाती पुश्तैनी आराजी का बिना खाता विभाजन कराये बेचान करने पर आमदा हो रहे है अतः प्रकरण प्रथम द्रष्टया प्रार्थी के पक्ष मे है। आर्गु० प्रार्थी की बहस के परिपेक्ष्य में ग्राम रायपुर की वादग्रस्त आराजी की हाल जमाबंदी संवत 2073-76 के अनुसार खाता स० 997 किता 5 रकबा 10.3321 hac प्रार्थी व अप्रार्थी 1 से 5 के शामलाती खाते मे दर्ज है जिसमे प्रार्थी का हिस्सा 1/4 दर्ज है। वादग्रस्त भूमि के पैतृक संपत्ति होने का कोई भी साक्ष्य पत्रावली पर उपलब्ध नही है। कोई संपत्ति यदि चतुर्थ पुरूष पीढ़ी से अविभाजित रूप से विरासत मे [illegible] है तो वह पैतृक सम्पत्ति [illegible] । यह [illegible] है कि सहखाते की आराजी मे [illegible] का प्रत्येक हिस्से पर समान हक व अधिकार माना जाता है। प्रार्थी द्वारा शपथ पत्र से	

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2024.12.11 11:34:53 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही ...	हुक्म ... में ...
	कथन किया है कि वादग्रस्त आराजी का खाता विभाजन नहीं हुआ है। अप्रार्थीगण के बावजूद सूचना न्यायालय से अनुपस्थित रहने से प्रथम दृष्टया जाहिर होता है कि अप्रार्थीगण अपने समर्थन में कुछ जवाब/साक्ष्य पेश करना नहीं चाहते हैं। अतः प्रकरण प्रथम दृष्टया प्रार्थी के पक्ष में साबित है। (ब) सुविधा का संतुलन :- अभि० प्रार्थी द्वारा कथन किया कि हमारा खाता विभाजन मौके पर भी नहीं हो सका है। प्रार्थी व अप्रार्थीगण, मृतक रामदयाल के पुत्र/पौत्र हैं। मृतक रामदयाल के चारों पुत्रों - रमेश चंद, हुकमचंद, सुरेशचंद व कैलाशचंद - 1/4 1/4 भाग पर जरिये विरासत खाते दर्ज रिकार्ड हुए हैं लेकिन खेती अभी शामलाती रूप से कर रहे हैं। लेकिन अप्रार्थीगण बिना खाता विभाजन कराये, भाग/हिस्से का अजनबी क्रेता को बेचान कर कब्जा सौंपना चाहते हैं जिससे प्रार्थी को आर्थिक असुविधा होगी। अभि० प्रार्थी के कथनों के समर्थन में स्वयं का शपथ पत्र पेश है, अन्य कोई दस्तावेज नहीं है। माननीय राजस्व मंडल द्वारा कई महत्वपूर्ण निर्णयों में अभिनिर्धारित किया है कि "शामलाती [illegible] प्रत्येक भाग पर प्रत्येक सहखातेदार [illegible] हक व अधिकार है"। [illegible] सहखातेदार लिखित या मौखिक पारिवारिक [illegible] कर अपने-2 हिस्से पर कब्जाकाश्त रहते हैं तो उनके हिस्से के बेचान पर स्थगन न्यायोचित नहीं होगा लेकिन यदि ऐसा साबित नहीं है	

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2024.12.11 11:34:53 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही या मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तालीम में जारी हुए
	तो किसी अजनबी क्रेता को बैचान कर हिस्से विशेष पर कब्जा सौंपना न्याय संगत नहीं कहलायेगा। अतः केवल बैचान कर हिस्से विशेष पर अजनबी क्रेता को कब्जा सौंपने के हद तक सुविधा का सन्तुलन प्रार्थी के पक्ष में साबित है। (स) अपूरणीय क्षति:- प्रकरण प्रथम द्रष्टया एवं अजनबी क्रेता को हिस्से विशेष का बैचान कर कब्जा सौंपने के हद तक सुविधा का सन्तुलन भी प्रार्थी के पक्ष में साबित है। शामलाती कृषि भूमि में बिना लिखित या मौखिक पारिवारिक बंटवारे के अजनबी क्रेता को हिस्से विशेष का बैचान से प्रार्थी को अपूरणीय क्षति हो सकती है। उपरोक्त विवेचन व विश्लेषण के आधार पर प्रार्थी का प्रा० पत्र u/s 212 RT Act r.w. O39 R1&2 CPC आंशिक रूप से स्वीकार किया जाता है। अप्रार्थी क्रम 1 से 4 को ताफैसला मूलवाद इस आशय की अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि वे ग्राम रायपुर की वादग्रस्त शामलाती आराजी खाता सं० 997 कित्ता 5 रकबा 10.33 हैक्टेयर का खाता विभाजन कराये बिना अजनबी क्रेता को केवल बैचान नहीं करेंगे [illegible] करने या अन्य किसी [illegible] नहीं रहेगी। पत्रावली फैसलशुदा [illegible] नम्बर से कम होकर मूलवाद के साथ संलग्न हो।	

उपखण्ड अधिकारी
[illegible] जिला भीलवाड़ा (राज०)

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2024.12.11 1[illegible]:34:53 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner